

न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या- 04/2021

बसंत राम (विक्रेता)

बनाम्

सुनील कुमार (क्रेता)

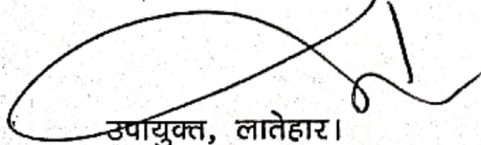
आदेश

प्रस्तुत वाद श्री बसंत राम पिता- स्व० रामचन्द्र राम, ग्राम- केडू, थाना+जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता श्री सुनील कुमार, पिता- स्व० देवनारायण राम, ग्राम- केडू, थाना+जिला- लातेहार के साथ मौजा-हरखा, खाता संख्या-25 प्लॉट संख्या- 116, 117, 197, 470, 479 रकबा- 2.11 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति वाद से संबंधित प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, लातेहार से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक- 305 दिनांक 14.08.2020 से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों कहार (पिछड़ा वर्ग-1) जाति के सदस्य हैं, तथा दोनों एक ही थाना व जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों पीछड़ा वर्ग दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदक को अपनी पुत्री के शादी हेतु जरूरी कार्य के लिए रुपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री किये रुपये की व्यवस्था हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का खतियानी भूमि है तथा जमाबन्दी पिता (रामचन्द्र राम) के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार आवेदक का मौजा हरखा में रकबा- 2.11 एकड़ एवं मौजा केडू में रकबा- 4.48 एकड़ कुल रकबा-6.59 एकड़ भूमि है, जिसमें से आवेदक रकबा-1.60(एक दशमलव छः शून्य) एकड़ भूमि बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास रकबा-4.99 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, लातेहार के अनुशंसा के आधार पर बिक्रेता श्री बसंत राम पिता- स्व० रामचन्द्र राम, ग्राम- केडू, थाना+जिला- लातेहार क्रेता श्री सुनील कुमार, पिता- स्व० देवनारायण राम, ग्राम- केडू, थाना+जिला- लातेहार के साथ मौजा-हरखा, खाता संख्या-25 प्लॉट संख्या- 470 रकबा-1.60एकड़ (एक दशमलव छः शून्य) भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त, लातेहार।



उपायुक्त, लातेहार।